उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार,

Website: psc.uk.gov.in

विज्ञापन संख्या : A-1/DR(DSO)/S-2/2025

जिला क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा–2025

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	::	28 मई, 2025
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	::	17 जून, 2025 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
आवेदन शुल्क– Net Banking/Debit Card/ Credit Card/UPI द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि	::	17 जून, 2025 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन/परिवर्तन करने की तिथि	::	23 जून, 2025 से 02 जुलाई, 2025 (रात्रि 11.59.59 बजे) तक

अति महत्वपूर्ण निर्देश :–

1.	**उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 168/XXXVI(3)/2023/10(01)/2023 दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम–2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम–2023 समय–समय पर यथा संशोधित के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।**
2.	**अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित सभी श्रेणी/उपश्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या : 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस)19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण एवं शैक्षिक अर्हता विषयक प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवदेन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा धारित करना आवश्यक है।**
3.	अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात 17 जून, 2025 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2022 यथा संशोधित के क्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने की तिथि का निर्धारण केवल अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) से किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवदेन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Detail) के विवरण में, Result Declaration Date के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो। अभिलेख सत्यापन के समय विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
4.	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही–सही भरें। अपूर्ण आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन

	करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, अपितु उससे पूर्व ही ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें।
5.	फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण आदि सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर पृथक से कुछ भी लिखना/लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आएगा।
6.	प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार किया जाएगा। किसी अन्य प्रकार से जमा किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।
7.	ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की निर्धारित अंतिम तिथि/समय के पूर्व तक आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर प्रश्नगत पद हेतु पुनः आवेदन कर सकता है, किन्तु इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा, अर्थात् अभ्यर्थी को संशोधित/नवीन ऑनलाइन आवेदन पत्र के सापेक्ष पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
8.	(i) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें, ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम/जन्म तिथि/श्रेणी/उपश्रेणी/लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन के बिन्दु संख्या–13 (संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया) में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किया जायेगा। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। (ii) ऑनलाइन आवेदन में किसी महिला अभ्यर्थी द्वारा पुरूष अथवा किसी पुरूष अभ्यर्थी द्वारा महिला का दावा किये जाने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
9.	(i) आवेदन के प्रारम्भिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में जमा/प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक साक्ष्य/प्रयोग हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। (ii) प्रश्नगत पदों हेतु निर्धारित परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन किया जायेगा। तत्पश्चात् लिखित परीक्षा में औपबन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया जायेगा। (iii) आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन–पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण–पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

	(iv) विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि ऑनलाइन आवेदन–पत्र में अभ्यर्थी के दावे तथा प्रमाण–पत्रों में भिन्नता अथवा कमी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। (v) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में औपबन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन–पत्र में किये गये दावों से संबंधित अभिलेखों यथा–शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 यथा संशोधित, Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules–2013 यथा संशोधित–2016 एवं सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2022 यथा संशोधित में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन–पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु नियत तिथि पर वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने पर अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा। उपरोक्त के संबंध में अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जायेगा। (vi) अभ्यर्थियों को परीक्षा के संबंध में जानकारी दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से प्रदान की जायेगी। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें ई–मेल या एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। उक्त हेतु अभ्यर्थी स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई0डी0 ही आवेदन पत्र में भरें।
10.	प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु निर्धारित परीक्षा योजना एवं लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट–01, आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट–02, न्यूनतम अर्हक अंक हेतु परिशिष्ट–03, परीक्षा केन्द्रों की सूची हेतु परिशिष्ट–04, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक व अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु परिशिष्ट–05, 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक व अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु परिशिष्ट–06 तथा चैकलिस्ट हेतु परिशिष्ट–07 का अवलोकन करें।
11.	प्रश्नगत लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं अंतिम चयन परिणाम (लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार) हेतु न्यूनतम् अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट–03 पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी/उप–श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता–सूची (MERIT) हेतु विचारित किया जायेगा।
12.	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन हरिद्वार तथा हल्द्वानी नगर के परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु अभ्यर्थियों को आंवटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा हेतु नगरों की संख्या घटाई–बढ़ाई जा सकती है। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किये जा सकते हैं, जिसमें आयोग का निर्णय अंतिम होगा। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर परीक्षा का आयोजन केवल हरिद्वार नगर के परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा।
13.	समस्त आरक्षण संबंधी एवं अन्य प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए।
14.	प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाइन प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगें। अभ्यर्थी

	ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।
15.	उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या : 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/ 2017 दिनांक 05 जून, 2023 के अनुसार जिला क्रीड़ा अधिकारी का पद दिव्यांगता की LC, AAV/AV उपश्रेणी हेतु चिन्हांकित है। उक्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी शासनादेश संख्या : 232/XXX(2)/ 2018/30(05)/2014 दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के अनुक्रम में अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। उक्त चिन्हित उपश्रेणियों के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उपश्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थी प्रश्नगत पदों के सापेक्ष आवेदन नहीं कर सकते हैं।
16.	प्रश्नगत परीक्षा में अभ्यर्थियों का चयन प्रत्येक स्तर पर पूर्णतः औपबन्धिक है। यदि किसी भी स्तर में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद के सापेक्ष निर्धारित अर्हताएं धारित नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी का प्रश्नगत परीक्षा में अन्तिम रुप से चयन कर लिया जाता है तथा चयन संस्तुति शासन को प्रेषित कर दी जाती है तो इस दशा में भी अभ्यर्थी के अभिलेखों में त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर उस अभ्यर्थी की चयन संस्तुति शासन से वापस लेते हुए अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखण्ड शासन के खेल विभाग के अन्तर्गत जिला क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पदों हेतु विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन–पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं।

01. रिक्तियों का विवरण :– जिला क्रीड़ा अधिकारी पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या **06** है। **रिक्तियों की संख्या घटायी व बढ़ायी जा सकती है।** रिक्तियों का विवरण श्रेणीवार/उपश्रेणीवार निम्नवत् है–

श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज रिक्तियों का विवरण						
		उत्तराखण्ड महिला	स्व0सं0 से0 के आश्रित	पूर्व सैनिक	दिव्यांगजन	उत्तराखण्ड राज्य आंदो0 व आश्रित	उत्तराखण्ड कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड प्रभावित/ अनाथ बच्चे
अनारक्षित	04	01				–	–	–
अनुसूचित जाति	01	–				–	–	–
अनुसूचित जनजाति	00	–	–	–	–	–	–	–
अन्य पिछड़ा वर्ग	01	–				–	–	–
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	00	–				–	–	–
योग	06	01	–	–	–	–	–	–

नोटः **1– जिला क्रीड़ा अधिकारी के पद दिव्यांगता की LC, AAV/AV उपश्रेणी हेतु चिन्हांकित हैं। उक्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। उक्त चिन्हित उपश्रेणियों के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उपश्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थी प्रश्नगत पदों के सापेक्ष आवेदन नहीं कर सकते हैं।**

2– जिन आरक्षित श्रेणियों के पद विज्ञापित नहीं हैं, वे अनारक्षित श्रेणी के पदों के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं तथा जिन उपश्रेणियों में पद विज्ञापित नहीं हैं, वे अपनी मूल श्रेणी के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं।

02.	**वेतनमान**	वेतन लेवल–07 (रू0 44900–142400)
03.	**पद का स्वरूप**	समूह 'ख', राजपत्रित / स्थायी / अंशदायी पेंशनयुक्त।
4.(i)	**अनिवार्य शैक्षिक अर्हता**	**(1)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। **(2)** एक खिलाड़ी के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में टीम का प्रतिनिधित्व किया हो। **(3)(i)** एन0आई0एस0 संस्थान से "डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग" नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला, भारतीय खेल प्राधिकरण, नेताजी सुभाष साउथर्न सेन्टर, बैंगलोर, भारतीय खेल प्राधिकरण, नेताजी सुभाष ईस्टर्न सेन्टर, कलकत्ता, भारतीय खेल प्राधिकरण, त्रिवेन्द्रपुरम **या** **(ii)** लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, (डीम्ड यूनिवर्सिटी), ग्वालियर से "पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग" (PGDSC) डिप्लोमा।" **या** **(iii)** स्वर्णिम गुजरात खेल विश्वविद्यालय गांधीनगर से "पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग" (PGDSC) डिप्लोमा।" **(1)** Bachelor degree from any university established by law in India. **(2)** Represent in team as a player in national competition. **(3)** (i) Diploma in sports Coaching from Netaji Subhas National Institute of Sports (NSNIS), Patiala, SAI, Netaji Subhas Southern Centre, Bangalore, SAI, Netaji Subhas Eastern Centre, Kolkata, SAI, Thiruvnanthapuram **or,** (ii) Post graduate Diploma in sports Coaching from Lakshmibai National Institute of Physical Education (LNIPE), Gwalior **or** (iii) Post graduate Diploma in sports Coaching from Swarnim Gujarat Sports University (SGSU), Gandhinagar
4.(ii)	**अधिमानी अर्हता**	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने– **(एक)** प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, **या** **(दो)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र हो, **या** **(तीन)** अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में एक खिलाड़ी के रूप में प्रतिभाग किया हो।
05.	**आयु**	आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2025 है, अभ्यर्थी 01 जुलाई, 2025 को न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2004 के पश्चात तथा 02 जुलाई 1983 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।
06.	**अधिकतम् आयु सीमा में छूट**	विभिन्न श्रेणियों / उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी। (i) उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्या : 1399/XXX(2)/2005**,** दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

		(ii) उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता सग्रांम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। (iii) उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह 'ख' के पदों हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। दिव्यांगजनों के आरक्षण के लाभ हेतु दिव्यांगता की उपयुक्त चिन्हित श्रेणियों (**LC, AAV/AV**) में से किसी एक में कम से **कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है।** (iv) शासनादेश संख्याः 17/2/1981–कार्मिक–2, दिनांक 28 फरवरी, 1985 के अनुसार ''उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को जिन्होंने सेना के आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित, पूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों को जिन्होंने सेना में कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट सेवाकाल को आधार मानकर, दी जायेगी। यह छूट उन सैनिकों/अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जो छः माह की अवधि में कार्यमुक्त होने वाले हों परन्तु निम्नलिखित को अनुमन्य नहीं होगी– 1. जो कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खस्त हुए हों, 2. जो सेना की सेवा में अवगुण समझी जाने वाली शारीरिक अयोग्यता अथवा अशक्तता के कारण सेवामुक्त हुए हों।'' यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।
07.	**आरक्षण**	उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतत्रंता संग्राम सैनानी आश्रित, दिव्यांग, उत्तराखण्ड महिला, उत्तराखण्ड के अनाथ, उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी तथा उनके आश्रित एवं उत्तराखण्ड के कुशल खिलाडी अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा। **ऑनलाइन आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, महिला, उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी तथा उनके आश्रित एवं उत्तराखण्ड के कुशल खिलाडी श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। **यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उप श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।** आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारुप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना

		आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति सहित अन्य स्वप्रमाणित अभिलेखों के साथ अभिलेख सत्यापन के समय संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारुप का उल्लेख "परिशिष्ट–2" में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारुप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा। i. पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ अधिसूचना सख्या–133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009, दिनांक 16.03.2009 के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासी, सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को ही अनुमन्य होगा। पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संबंध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या : 406/XXX(2)2021-55(41)/2004 दिनांक 18 जनवरी, 2021, शासनादेश संख्या : 51/XXX(2)2021-53(01)/2001 दिनांक 09 फरवरी, 2021 एवं शासनादेश संख्या : 277/XXX(2)2021-30(21)/2018 दिनांक 13 सितम्बर, 2021 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत हैं। भारत सरकार के **O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT)** दिनांक 02 अप्रैल, 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा निम्नवत निर्णय लिया गया है– **(a) once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his exserviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease.** **(b) The ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the state Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs.** **(C) If an ex-serviceman applies for various vacancies before joining any civil employment, he/she can avail of the benefit of reservation as ex-serviceman as soon as he/she joins any civil employment, should give self declaration/undertaking to the concerned employer about the date-wise details of application for various vacancies for which he/she has applied for before joining the initial civil employment. Further, this benefit would be available only in respect of vacancies which are filled on direct recruitment and wherever reservation is applicable to ex-serviceman.** का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु सरकार की उक्त नीति के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य

		अभिलेखों के साथ अभिलेख सत्यापन के समय आयोग कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। ii. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित (डी0एफ0एफ0) को आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा। iii. **शासनादेश संख्या : 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012, दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है।** अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिये। iv. **अधिसूचना संख्या : 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019, दिनांक 07.03.2019 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु के लिए आरक्षण) अधिनियम 2019 में** आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राज्याधीन लोक सेवाओं और सीधी भर्ती के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जिस वर्ष हेतु निर्गत किया जाये, उस वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर जारी होना चाहिए। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिये। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। **इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।** V. उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 179/XXX(2)/2021-30(2)/2019 दिनांक 31 अगस्त, 2021 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक माता–पिता दोंनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुयी हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/शासकीय सेवा में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2021 एवं शासनादेश संख्या : 11/XXX(2)/2022-30(2)/2019 दिनांक 16 फरवरी, 2022 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो। vi. उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 09/XXXVI(3)/2023/72(1)/2022 दिनांक 10 जनवरी, 2023 के क्रम में **उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम–2022 के प्रस्तर–3(1) व (2) के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासित महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।** आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
08.	**राष्ट्रीयता**	सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

		(क) भारत का नागरिक हो, या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो, होना चाहिए, या (ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका अथवा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो; परन्तु उक्त श्रेणी (ख) या (ग) से संबंधित अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो; परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिए उप पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा; परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से संबंधित है तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा। **टिप्पणी :–** जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे किसी परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उनके पक्ष में जारी कर दिया जाय।
09.	**चरित्र**	सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो, नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा। **टिप्पणी :–** संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध से सम्बद्ध सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
10.	**वैवाहिक प्रास्थिति**	ऐसा पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पति जीवित हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे : परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।
11.	**शारीरिक स्वस्थता**	(1) किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष

		से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। (2) किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदन करने से पूर्व उससे सेवा में अन्य पदों के मामले में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–II, भाग–III में अध्याय–III में समाविष्ट मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है, परंतु यह कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों की नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा :
12.	**<u>ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया (Procedure to apply online)</u>**	
	1. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** या **pscuk.net.in** पर जायें। 2. विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात **pscuk.net.in** पर जाकर **Menubar** में **How to Apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** पेज पर **Advertisement Details, Important Dates** एवं **Instructions for filling up online application form** का अवलोकन करने के पश्चात **Apply Now** बटन पर क्लिक करें। 3. **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् खुले **Registration** फॉर्म पर **वॉछित,** अपनी सही जानकरी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Submit** पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी **Basic Information** प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो **I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same** पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा **No, I want to change some details** पर **Tick** कर **Edit** पर क्लिक करें एवं संशोधित **detail** भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फार्म **Submit** करने की प्रक्रिया पूर्ण करें। 4. **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर **Primary Registration** पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile Number** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर **Click here to login** के बटन पर क्लिक करें। 5. **Login** करने के पश्चात **Educational Details** पेज प्रदर्शित होगा। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का अवलोकन करने के पश्चात् दिये गये **Check Box** पर **Tick** करें। ततपश्चात् अभ्यर्थी **High School** का विवरण भर कर **Add Education Details** पर क्लिक करें, भरा गया विवरण **Add Education Detail** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। गलत **Educational** विवरण भरने की स्थिति में ग्रिड में **Edit/Delete** के **Icon** पर क्लिक कर **Edit** अथवा **Delete** किया जा सकता है। इसी प्रकार **Intermediate, Graduate** व अन्य शैक्षिक अर्हताएं भरें। फॉर्म पर अन्य विवरण भर कर **Continue** पर क्लिक करें। उसके पश्चात **Photo & Signature to Upload** टैब पर **Photo, Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo, Signature** को **re-upload** करने के लिए **I want to upload photo and signature Checkbox** पर क्लिक कर पुनः **Photo, Signature** अपलोड किये जा सकते हैं। 6. **Photo, Signature** अपलोड होने के पश्चात **"I hereby declare that the photograph & signature are correct and accurate representation of myself" declaration** पर **Tick** कर	

	Continue पर क्लिक करें। ततपश्चात् फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा। फार्म में भरे गये विवरण को सावधानी पूर्वक चेक कर लें। गलत भरे गये विवरण को **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फार्म पर पुनः वापस जाकर सही किया जा सकता है। वॉछित विवरण सही होने की स्थिति में घोषणा पर **Tick** करने के पश्चात् **Final Button** पर क्लिक कर, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें । **Print Application** बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर लें। 7. **Final Submission के उपरान्त आवेदन–पत्र** में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द **(Cancel)** कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। आवेदन रद्द **(Application Cancel)** करने के लिए **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को **Tick** कर **Submit** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु **Close** की जगह **Back** बटन पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाईल पर ओ0टी0पी0 **(OTP)** प्राप्त होगा, जिसको कि **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द **(Application Cancel)** करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन **(Cancel Application)** के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। **नोटः** (1) **Final Submission से पूर्व** अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में त्रुटि होने की दशा में **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फार्म में वापस **(Back)** जाकर त्रुटि में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आने वाली तकनीकी समस्या **(Technical Issue)** के समाधान हेतु अभ्यर्थी **ukpschelpline@gmail.com** पर ई–मेल कर सकते हैं। (2) **Final Submission** के पश्चात् आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। (3) अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात् **मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 Edit** नहीं किया जा सकता है।
13.	**ऑनलाइन आवेदन में संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया–**
	ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु दिशा–निर्देशः– (i) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरांत (Edit/Correction) का लिंक खोला जायेगा। (ii) Edit/Correction हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी। (iii) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवदेन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई–मेल आई0डी0 एवं पासवर्ड से लॉग–इन कर पायेगें। (iv) लॉग–इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में **(मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 को छोड़कर)** आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेगें। (v) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवदेन पत्र में Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवदेन पत्र में डाटा Update हो सकेगा। (vi) Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा। (vii) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तो के अनुसार देय होगा, किन्तु अगर अभ्यर्थी

केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0/उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नही पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नही होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(viii) अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दिये गये शुल्क को वापस नहीं किया जायेगा।

(ix) अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

14. **शुल्क–** प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/ Credit Card/UPI के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य हैः–

क्र0सं0 (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन–शुल्क (Application Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
1	अनारक्षित	रु0 150.00	रु0 16.36	रु0 166.36
2	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रु0 150.00	रु0 16.36	रु0 166.36
3	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	रु0 60.00	रु0 16.36	रु0 76.36
4	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रु0 150.00	रु0 16.36	रु0 166.36
5	उत्तराखण्ड के दिव्यांग	कोई शुल्क नहीं	रु0 16.36	रु0 16.36
6	उत्तराखण्ड प्रभावित अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं

नोट :– उत्तराखण्ड राज्य के पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, उत्तराखण्ड अधिवासित कुशल खिलाडी जिन्होंने ओलम्पिक/विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप/एशियन खेल में पदक प्राप्त किया हो अथवा प्रतिभाग किया हो, उत्तराखण्ड राज्य आंदो0 व आश्रित एवं उत्तराखण्ड महिला अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, **यथा–** अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

15. <u>अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश</u> :–

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर मा0 आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules–2013** यथा संशोधित–2016, सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2022 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 यथा संशोधित आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

(03) विज्ञापित पदों हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type Multiple Choice), विज्ञापन के **<u>परिशिष्ट–1</u>** में उल्लिखित परीक्षा योजना के अनुसार आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) की परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(04) परीक्षा तिथि, समय एवं परीक्षा कार्यक्रम व परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले ऑनलाइन प्रवेश–पत्र के माध्यम से प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(05) अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगें। अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।

(06) यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई–मेल ukpschelpline@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

(07) चयन/परीक्षा की मेरिट सूची में उन्हीं अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जायेगा, जिन्होंने परीक्षा के प्रत्येक चरण (लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार) में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किया हो तथा लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना के अनुसार जितने भी प्रश्नपत्र/विषय निर्धारित हैं, उन सभी प्रश्नपत्रों/विषयों में अनिवार्य रूप से परीक्षा दी हो/प्रतिभाग किया हो।

(08) अँगूठे का निशान (Thumb Impression)– सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु उन्हें उपलब्ध कराये गये उत्तर पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (**पुरुष** अभ्यर्थी की दशा में **बायें अँगूठे** का निशान तथा **महिला** अभ्यर्थी की दशा में **दायें अँगूठे** का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(09) वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) पद्धति अपनाई जायेगी।

(10) गलत उत्तरों के लिए दण्ड– वस्तुष्ठि प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन)

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर के रुप में रहेगें। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रुप में काटा जायेगा।

(ख) किसी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रुप में काटा जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(11) उत्तर कुँजी आपत्ति– वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित औपबन्धिक उत्तर कुंजी का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व सम्बन्धित उत्तर के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति आयोग की वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी से प्रतिप्रश्न आपत्ति के सापेक्ष 50.00 रूपये शुल्क के रूप में लिये जायेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रतिप्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो आयोग द्वारा उक्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा। भुगतान के पश्चात शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापिस नही किया जायेगा। औपबन्धिक उत्तर कुंजी (Provisional Answer Key) के संबंध में प्राप्त ऑनलाइन आपत्तियों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से करवाने के पश्चात तथा मा0 आयोग द्वारा अनुमोदन के उपरांत निर्मित संशोधित उत्तर कुंजी (Amended Answer Key) आयोग की वेबसाइट पर

अपलोड की जाएगी। उक्त संशोधित उत्तर कुंजी के सापेक्ष अभ्यर्थियों से निम्न शर्तों के अधीन प्रत्यावेदन प्राप्त किये जाएंगे–

(1) अभ्यर्थियों को ई–मेल के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु 05 दिन का समय प्रदान किया जाएगा।

(2) ऐसे अभ्यर्थी संशोधित उत्तर कुंजी के संबंध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनके द्वारा संबंधित प्रश्नों के विरूद्ध औपबन्धिक उत्तर कुंजी (Provisional Answer Key) के अन्तर्गत अंतिम तिथि तक विधिवत आपत्ति दर्ज की गयी हो।

(3) आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित औपबंधिक उत्तर कुंजी में से किसी प्रश्न के उत्तर विकल्प में परिवर्तत किया गया हो या संशोधित उत्तर कुंजी में किसी प्रश्न का विलोपन (Delete) किया गया हो, उसके संबंध में कोई भी अभ्यर्थी प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(4) उक्त के अतिरिक्त औपबन्धिक उत्तर कुंजी में जिन प्रश्न/उत्तर विकल्प में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उन प्रश्नों/उत्तर विकल्प के संबंध में कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(5) अभ्यर्थी उपरोक्त वर्णित शर्तों के अधीन संशोधित उत्तर कुंजी (Amended Answer Key) के सापेक्ष यदि कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस संबंध में प्रमाणिक पुस्तकों के साक्ष्यों को संलग्न करते हुए प्रत्यावेदन गोपन अनुभाग–3 की ई–मेल आई0डी0 objectiongopan03@gmail.com पर निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक प्रेषित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

तद्नुसार संशोधित उत्तर कुंजी के सापेक्ष प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण किये जाने के उपरान्त निर्मित उत्तर कुंजी के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।

(12) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।

(13) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा मोबाइल फोन, फोटो कैमरा, पेजर, स्कैनर पैन, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार क्षमता वाले यंत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन, फोटो कैमरा, पेजर, स्कैनर पैन, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार क्षमता वाले उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

(14) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के पश्चात उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया जायेगा। औपबन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार से पूर्व उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों से सम्बन्धित अभिलेखों यथा– शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

16. अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश–

(1) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में सफल तथा सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2022 में उल्लिखित संगत प्राविधानों के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु

सफल घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय साक्षात्कार हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। साक्षात्कार परीक्षा का आयोजन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के परिसर में किया जायेगा।

(2) ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावों से संबंधित अभिलेखों का मिलान मूल प्रमाण पत्रों/अभिलेखों से अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार दिवस को किया जाएगा। अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन संबंधी विविध प्रपत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। इस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा। अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(3) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 यथा संशोधित के अनुक्रम में न्यूनतम अर्हकारी अंक धारित अभ्यर्थियों को ही प्रवीणता सूची (मेरिट) हेतु विचारित किया जायेगा। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं अंतिम चयन परिणाम (लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार) हेतु न्यूनतम् अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के **परिशिष्ट–03** पर उपलब्ध है।

(4) अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों से निर्मित प्रवीणता सूची के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार रिक्तियों के क्रम में किया जायेगा। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जायेगी।

17. सामान्य निर्देश–

(01) अभ्यर्थियों के अभिलेखों की सन्निरीक्षा (scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2022 यथा संशोधित के आलोक में यथासमय सम्पन्न की जायेगी। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन–पत्र/ प्रमाण–पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना अनर्हता के कारण सहित आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा अपनी अनर्हता के सापेक्ष निर्धारित अंतिम तिथि तक वांछित अभिलेख/साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये जाने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(02) परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या : 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित "दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में दिशानिर्देश" **(परिशिष्ट–5)** के अनुसार श्रुतलेखक की सुविधा अनुमन्य होगी। 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में दिशानिर्देश **(परिशिष्ट–6)** पर उपलब्ध हैं।

(03) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा निर्गत ''अनापत्ति प्रमाण–पत्र'' प्रस्तुत करना होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा सेवायोजक को अनापत्ति हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है तो उसे अनर्ह अभ्यर्थी की श्रेणी में रखा जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हो तथा उसकी

पावती की प्रति अभिलेखों के साथ प्रेषित की गई हो तो, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में औपबंधिक अर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। यदि चयन परिणाम घोषित होने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों का औपबन्धिक चयन परिणाम घोषित किया जायेगा।

(04) आयोग द्वारा प्रश्नगत पदों का चयन परिणाम, विज्ञापित पदों हेतु प्रख्यापित संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली, 2022 (यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार तैयार किया जायेगा।

(05) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन में प्रकाशित अर्हताओं का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए।

(06) यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्नांश में प्रत्यक्ष त्रृटि, अस्पष्टता या विसंगति अथवा अंग्रेजी और हिन्दी अनुवाद में विसंगति है, तो ऐसी दशा में अंग्रेजी अनुवाद को मानक माना जाएगा।

(07) अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता आदि के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

(08) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(09) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण–पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है और उसके विरूद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(10) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, आयोग के साथ समस्त पत्राचार एवं परीक्षा से संबंधित सभी चरणों में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(11) अभ्यर्थी के हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(12) परीक्षा भवन में आचरण : परीक्षा केन्द्र/कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जा सकता है। अभ्यर्थी परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(13) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित : कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के उत्तर पत्रकों से न तो नकल करेगा, न ही अपने उत्तर पत्रकों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। **ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम–2023 के सुसंगत प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।**

(14) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013 यथा संशोधित–2016** के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जायेगी।

(15) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही : अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति पायी जाती है तो इस विसंगति के संबंध में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

(16) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा :–

1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर प्रत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो या कूटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बाते लिखना, जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाण पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क)

आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्व उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, (यदि कोई हो) आयोग द्वारा विचार न कर लिया गया हो।

(17) आयोग से किये जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थी अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि जारी किया गया हो) का उल्लेख अवश्य करें।

(18) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारुपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

(19) अभ्यर्थी लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं साक्षात्कार के दौरान, अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित आई0डी0 अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उन्हें उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(20) चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान करने के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

(21) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन/विभाग को ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।

(22) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(23) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in का समय–समय पर अनुश्रवण (Monitoring) करना सुनिश्चित करें।

Sd/-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।

परिशिष्ट–1

उत्तराखण्ड शासन के खेल विभाग के अंतर्गत जिला क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम

परीक्षा योजना

1. लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

क्र0 सं0	प्रश्न–पत्र	परीक्षा का स्वरूप	प्रश्न संख्या	अधिकतम अंक	समयावधि
1	**प्रश्नपत्र प्रथम– सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं सामान्य हिन्दी** (उक्त प्रश्न पत्र में 30% सामान्य अध्ययन, 10% सामान्य बुद्धि परीक्षण, 40% उत्तराखण्ड राज्य संबंधी प्रश्न एवं 20% सामान्य हिन्दी के प्रश्न सम्मिलित होंगे।)	वस्तुनिष्ठ प्रकृति	100	200 (प्रत्येक 01 प्रश्न हेतु 02 अंक)	02 घण्टे
2.	**प्रश्नपत्र द्वितीय– खेलकूद विषयक**	वस्तुनिष्ठ प्रकृति	100	200 (प्रत्येक 01 प्रश्न हेतु 02 अंक)	02 घण्टे

2. साक्षात्कार परीक्षा

3.	**साक्षात्कार परीक्षा**	50	.....

नोटः– उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनयमावली–2022 के भाग सात के बिन्दु सं0– 8(IV) के अनुसार लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

नोट :– 1. वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न–पत्र में उम्मीदवार द्वारा चिन्हित गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंकन (Negative Marking) होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए नकारात्मक अंकन के रूप में प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से एक चौथाई (1/4) अंक काट दिया जाएगा, जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिया गया है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न के लिए एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, भले ही दिए गए उत्तरों में से कोई एक सही क्यों न हो और उस प्रश्न के लिए उपरोक्त के समान ही नकरात्मक अंकन किया जाएगा।

2. अंतिम चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उम्मीदवार के प्रदर्शन पर आधारित होगा।

लिखित परीक्षा

प्रश्नपत्र–प्रथम

विषयः: सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं सामान्य हिन्दी (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

समय–2 घंटे **कुल प्रश्न–100** **अधिकतम अंक–200**

खण्ड–1 : सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण

सामान्य अध्ययन

कुल प्रश्न–70 **अधिकतम अंक–140**

1 **सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी :** सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी सम्बन्धी प्रश्न विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ एवं दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग, प्रेक्षण एवं अनुभव पर आधारित होंगे, जो कि ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित हैं जिसका विज्ञान या कंप्यूटर की किसी भी शाखा में विशेष अध्ययन न हो।

2 **भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन :** भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत प्रश्न; प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं की व्यापक जानकारी तथा भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन, राष्ट्रवाद के विकास एवं स्वतंत्रता प्राप्ति पर आधारित होंगे।

3 **भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था :** भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत प्रश्न; भारतीय राज्यव्यवस्था, संविधान, पंचायती राज और सामुदायिक विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन की व्यापक विशेषताओं की समझ पर आधारित होंगे।

4 **भारत का भूगोल एवं जनांकिकी :** इसके अन्तर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक पारस्थितिकीय और सामाजिक–आर्थिक जनांकिकीय पक्षों की व्यापक समझ पर आधारित होंगे।

5 **सम–सामयिक घटनाएं :** इसके अन्तर्गत प्रश्न समसामयिक उत्तराखण्ड राज्यीय तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं खेलकूद सहित की समझ पर आधारित होंगे।

6 **उत्तराखण्ड का इतिहास :** उत्तराखण्ड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः प्राचीनकाल (आरम्भ से 1200 ई0 तक): मध्यकाल (1200 से 1815 ई0 तक): प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियाँ, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आन्दोलन में उत्तराखण्ड की भूमिका और इससे सम्बन्धित प्रमुख विभूतियाँ, प्रमुख

ऐतिहासिक स्थल एवं स्मारक, उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आन्दोलन, उत्तराखण्ड के लोगों का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में; विशेष रूप से सशस्त्र बलों में योगदान; विभिन्न समाज सुधार आन्दोलन तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बच्चों, दलितों एवं महिलाओं हेतु उत्तराखण्ड शासन के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम।

7 **उत्तराखण्ड की संस्कृति :** जातियां एवं जनजातियां, धर्म एवं लोक विश्वास, साहित्य, लोक साहित्य, परम्पराएं एवं रीति–रिवाज, वेश–भूषा एवं आभूषण, मेले एवं त्यौहार, खान–पान, कला शिल्प ; नृत्य, गायन एवं वाद्य यंत्र, प्रमुख पर्यटन–स्थल, महत्वपूर्ण खेलकूद, प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार, उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध लेखक एवं कवि तथा उनका हिन्दी–साहित्य एवं लोक–साहित्य में योगदान, उत्तराखण्ड शासन द्वारा संस्कृति के विकास हेतु उठाए गए कदम।

8 **उत्तराखण्ड का भूगोल एवं जनांकिकीः** भौगोलिक स्थिति। उत्तराखण्ड हिमालय की प्रमुख विशेषताएं। उत्तराखण्ड में नदियां, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन एवं बागवानी। प्रमुख फसलें एवं फसल चक्र। सिंचाई के साधन। कृषि जोतें। प्राकृतिक एंव मानव जनित आपदायें एवं आपदा प्रबन्धन। जल संकट और जलागम प्रबन्धन। दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याऐं। पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आन्दोलन। जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। उत्तराखण्ड की जनसंख्याः वर्गीकरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता एवं जनसंख्या पलायन।

9 **उत्तराखण्ड का आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश।**

राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेशः– उत्तराखण्ड में गठित सरकारें एवं उनकी नीतियाँ, राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाएं, प्रदेश की राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती–राज, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता।

प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – गोरखा एवं ब्रिटिश शासन काल में भूमि सम्बन्धी व्यवस्थाएँ– जिला भूमि प्रबन्धन (थोकदारी, वन पंचायतें, सिविल एवं सोयम वन केशर हिन्द (बेनाप भूमि) नजूल, नयाबाद बन्दोबस्त)। आधुनिक काल– उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड– कुमाऊँ जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के बाद भूमि–सुधार, लैंड टैन्योर में परिर्वतन, लगान वसूली व्यवस्था। राजस्व पुलिस–व्यवस्था।

आर्थिक परिवेशः– सीमान्त जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बत से व्यापार एवं व्यापार की वर्तमान स्थिति, स्थानीय कृषि, पशुपालन, कृषि जोतों की अलाभकर स्थिति व चकबंदी की आवश्यकता, बेगार तथा डडवार प्रथा।

10 **आर्थिक व प्राकृतिक संसाधनः–** मानव संसाधन, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवम् प्रमुख शिक्षण संस्थान; वन, जल, जडी–बूटी, कृषि, पशुधन, जल–विद्युत, खनिज, पर्यटन, उद्योग (लघु व ग्रामीण) संसाधनों के उपयोग की स्थिति।

उत्तराखण्ड में गरीबी व बेरोजगारी, उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ/आर्थिक क्रियायें एवं इनका राज्य जी0 डी0 पी0 में योगदान, उत्तराखण्ड में विकास की प्राथमिकतायें व नियोजन की नवीन रणनीति तथा समस्याएँ। उत्तराखण्ड में विपणन की सुविधाएं तथा कृषि मन्डियां, उत्तराखण्ड के बजट की प्रमुख विशेषताएँ।

सामान्य बुद्धि परीक्षण

प्रश्नों की संख्याः 10 **अधिकतम अंकः: 20**

11 इसके अन्तर्गत शाब्दिक और गैर–शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे और इसमें सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, समस्या, समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला आदि सम्मिलित होंगे। इसमें अभ्यर्थी की योग्यता का सामान्य विचार और संकेत और उनके संबंध, अंकगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक कार्य आदि के प्रश्न भी शामिल होंगे।

खण्ड–2: सामान्य हिन्दी (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

प्रश्नों की संख्याः 20 **अधिकतम अंकः: 40**

स्वर एवं व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम–व्याकरण विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति, विराम चिह्न।

लिखित परीक्षा
प्रश्नपत्र–द्वितीय
विषयः: खेलकूद विषयक
(वस्तुनिष्ठ प्रकार)

समय–2 घंटे　　कुल प्रश्न– 100　　अधिकतम अंक–200

इकाई–01 (खेलकूद और शारीरिक शिक्षा के मूलाधार और पद्धतियाँ)

– स्वदेशी खेलों का इतिहास और विकास।
– नॉकआउट टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट (लीग टूर्नामेंट), कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट।
– फिक्स्चर निर्माण की विधियां, बाई और इसकी गणना की विधियां।
– टीमों का वितरण तथा सीडिंग।

इकाई–02 (स्वास्थ्य, वेलनेस, खेल चिकित्सा और पुनर्वास)

– स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ, परिभाषा एवं आयाम।
– संतुलित आहार, मोटापा और उसका प्रबंधन, पोषण और आहार में बदलाव, तरल पदार्थ का सेवन।
– मिलेट्स (श्रीअन्न–मोटा अनाज) इसका खिलाड़ी के स्वास्थ्य और प्रदर्शन पर प्रभाव।
– अंगविन्यास एवं शारीरिक विकृतियां और उनका प्रबंधन।
– दिव्यांगों के लिए शारीरिक गतिविधियां और खेल।
– खेल चोटों की रोकथाम।
– महिलाओं में दक्षता समस्याएं, बढ़ती उम्र तथा व्यायाम।
– प्राथमिक चिकित्सा, मोच, खिंचाव, फ्रैक्चर, डिस्लोकेशन और उनका प्रबंधन।
– डोपिंग और एर्गोजेनिक–एड्स।

इकाई–03 (खेल मनोविज्ञान की मूल अवधारणा)

– आनुवांशिकता और पर्यावरण के मनोवैज्ञानिक पहलू।
– वृद्धि और विकास के विभिन्न चरण।
– सीखना (अधिगम), सीखने के नियम, सीखने के सिद्धांत, खेल के विभिन्न सिद्धांत।
– व्यक्तित्व एवं उसके प्रकार और आयाम, व्यक्तित्व और प्रदर्शन।
– प्रेरणा, प्रेरणा के प्रकार, पुरस्कार और दण्ड।
– तनाव और चिंता का प्रबंधन।

इकाई–04 (खेलकूद में परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन)

– शारीरिक दक्षता और गामक दक्षता का अर्थ और परिभाषा।
– शारीरिक दक्षता के घटक।

– AAHPERD युवा शारीरिक दक्षता परीक्षण।
– परीक्षण चयन की कसौटियां।
– कौशल परीक्षण।
– यो–यो परीक्षण।
– सामान्य शारीरिक दक्षता परीक्षण।
– बी0एम0आई0 (बाडी मॉस इंडेक्स)
– शारीरिक मोटापे का मापन एवं गणना।

इकाई–05 (खेल प्रशिक्षण के वैज्ञानिक सिद्धांत)

– खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत और विशेषताएँ।
– प्रशिक्षण भार, अधिभार और क्षतिपूर्ति।
– अवधिकालीनता।
– शक्ति एवं शक्ति के विकास की विधियां।
– गति एवं गति के विकास की विधियां।
– सहनशीलता एवं सहनशीलता के विकास की विधियां।
– लचीलापन एवं लचीलेपन के विकास की विधियां।

इकाई–06 (शरीर रचना विज्ञान एवं व्यायाम क्रिया विज्ञान)

– कोशिका और ऊतक।
– कंकाल तंत्र, मांसपेशीय तंत्र, हृदय–श्वसन तंत्र।
– रक्त और उसके तत्व।
– रक्तचाप।
– ऑक्सीजन डेट (ईपीओसी), सेकेंड विंड (द्वितीयक वायु), एथलीट हार्ट।
– मांसपेशीय तंत्र पर व्यायाम का प्रभाव।
– श्वसन तंत्र पर व्यायाम का प्रभाव, एरोबिक और एनारोबिक की अवधारणाएँ।
– रक्त संचार प्रणाली पर व्यायाम का प्रभाव।

इकाई–07 (खेल संगठन, प्रशासन और खेल प्रबंधन)

– टूर्नामेंट का आयोजन।
– साई (भारतीय खेल प्राधिकरण)।
– एआईयू (भारतीय विश्वविद्यालय संघ)।
– आईओसी (अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति)।
– आईओए (भारतीय ओलंपिक संघ)।
– खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स।
– एशियाई खेल, आधुनिक ओलंपिक खेल, प्राचीन ओलंपिक खेल।
– राष्ट्रीय खेल संघ और महासंघ।
– साहसिक खेलों को बढ़ावा।
– खेल के सामान और उपकरणों की देखभाल और रखरखाव।

– उपकरणों की खरीद।
– POSDCORB (योजना, आयोजन, स्टाफिंग, निर्देशन, सहयोग/नियंत्रण, अभिलेखीकरण और बजट)
– खेलों के लिए बजट तैयार करना।

इकाई–08 (खेल जैवयांत्रिकी)

– चाल, वेग और त्वरण।
– न्यूटन के गति के नियम।
– उत्तोलक एवं उसके प्रकार।
– साम्यावस्था और संतुलन, बल, गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व रेखा, अभिकेन्द्रीय और अपकेन्द्रीय बल।
– घर्षण, गति, सरल रेखा और कोणीय गति।

इकाई–09 (सांख्यिकी और खेल में कंप्यूटर अनुप्रयोग)

– केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें (माध्य, माध्यिका और बहुलक की गणना)।
– विचलनशीलता की मापें (मानक विचलन, चतुर्थांश विचलन और प्रतिशतता की गणना)
– खेलों में कंप्यूटर की भूमिका।
– खेलों में तकनीकी उच्चीकरण।
– खेलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की भूमिका।
– खेलों में नवाचार।

इकाई–10 (खेलकूद के नियम, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, खेल नीतियां और योजनाएं)

– विभिन्न खेलों के सामान्य नियम।
– राष्ट्रीय खेल पुरस्कार– (अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार)।
– NEP 2020 और खेल।
– TOPS- टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना।
– प्रतिभा की पहचान।
– सामाजिक एकीकरण में खेलों की भूमिका।
– खेलकूद से संबंधित करेंट अफेयर्स।
– भारत एवं उत्तराखण्ड में खेलों को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान योजनाएं।

इकाई–11 (योग और कल्याण)

– दक्षता और कल्याण के लिए योग की भूमिका।
– तनाव प्रबंधन के लिए योग।
– चिंता प्रबंधन के लिए योग।
– हृदय–श्वसन विकास के लिए योग।
– अंग विन्यास और संतुलन के लिए योग।
– वर्तमान में तनावपूर्ण जीवनशैली और योग।

Syllabus/Exam Scheme for direct recruitment to the post of District Sports Officer under Sports Department of Uttarakhand Government

Examination Scheme

1. Written Examination (Objective Type)

S. No.	Question Paper	Examination Format	No. of questions	Max. Marks	Time
1.	**First–** **General Studies, General Aptitude Test and General Hindi** (The question paper will include 30% General Studies, 10% General Aptitude Test, 40% Uttarakhand state related and 20% General Hindi related questions)	Objective Type	100	200 (02 marks for each question)	02 Hours
2.	**Second-** **Games & Sports**	Objective Type	100	200 (02 marks for each question)	02 Hours

2. Interview

3.	**Interview**	50	--------
Note: As per Part – 7, Point 8(IV) of Uttarkhand Lok Sewa Ayog Pariksha Parinam Nirman Prakriya Viniyamawali-2022 candidates qualified in written exam will be called for Interview.			

Note:-**1**. In objective type question paper, there will be negative marking for wrong answers marked by the candidate. For each wrong answer given by candidate, one-fourth (1/4) mark of the marks prescribed for that question will be deducted as negative marking. Similarly, if any candidate attempts more than one answer to the same question (even if one of the answers given is correct), one-fourth (1/4) mark of the marks prescribed for that question will be deducted as negative marking.

2. Final Merit list will be prepared on the basis of candidate's performance in the written exam and Interview.

Written Examination

Paper-I

Subject:: General Studies, General Aptitude Test and General Hindi (Objective Type)

Time : 2 Hours No. of questions: 100 Maximum Marks : 200

Part -1 : General Studies & General Aptitude Test

General Studies

Total Questions-70 Maximum Marks-140

1 **General Science and Knowledge of Computer Operation:** Questions on General Science and Computer operation will cover general understating and application of science and Computers including matters of day to day observation and experience as may be expected from an educated person who has not made a special study of any scientific or computer discipline.

2 **History of India and Indian National Movement:** Questions on history of India and Indian National Movement will be based on broad understanding of ancient, medieval and modern India's political, social, economic, and cultural aspects and India's Freedom movement, growth of nationalism and attainment of Independence.

3 **Indian polity and Economy:** Questions on Indian polity and economy will be based on Indian polity, Constitution, Panchayati raj and Community development, broad features of Indian economy and planning.

4 **Geography and Demography of India:** Questions will be based on a broad understanding of geographical, ecological and socio-economic aspects and demography of India.

5 **Current Events:** Questions will be based on important Uttarakhand State, National and International current events including games.

6 **History of Uttarakand:** Historical background of Uttarakhand: Ancient period (from earliest to 1200 AD) ; Medieval period (from 1200 to 1815 AD): Important dynasties and their achievements; Gorkha invasion and administration, British rule, Tehri State and its administration, role of Uttarakhand in the Freedom Movement of India and related eminent personalities, historical sites and monuments; movements for the formation of Uttarakhand, contribution of people of Uttarakhand in National and International fields, especially in Armed forces; different social reform movements,

and different welfare programmes of Uttarakhand for SC, ST, children, minorities and women.

7 **Culture of Uttarakand:** Castes and tribes, religious and folk beliefs, literature and folk literature, traditions and customs, costumes and ornaments; Fairs and Festiveals, food habits, art and Crafts, dances, songs, musical instruments, major tourist places, important sports, tournaments and awards, famous authors and poets of Uttarakhand and their contribution in the field of Hindi literature and folk literature, State steps taken by Uttarakhand for the development of culture.

8 **Geography and Demography of Uttarakhand :** Geographical Setup. Salient features of Uttarakhand Himalaya. Rivers and streams, mountains, climate, forest resources and horticulture. Major crops and crop rotation. Means of irrigation. Agricultural holdings. Natural and man-made calamities and Disaster management. Water crises and watershed management. Problems of remote areas. Environment and environmental movements. Biodiversity and its preservation. Population of Uttarakhand: Classification, density, sex ratio, literacy and out-migration.

9 **Economic, Political and Administrative Background of Uttarakhand :**

Political and Administrative Background- Elected governments in Uttarakhand and their policies, different services in the State, the political and administrative systems, Panchayti raj,Community development and Co-operatives.

The historical background of the adminstrative system - Land management system under Gorkhas rule and British rule, district land management (Thokdari, van panchayat, civil and soyam forest, Kesar-i-hind(benap land)Nazul, nayabad settlements) Modern period Uttar Pradesh and Uttarakhand-Kumaun land reforms, changes in land tenures and collection of land revenue after the enforcement of Zamidari Abolition Act, revenue police system.

Economic background – Indo-Tibetan trade from border districts, the present position, local agriculture and animal husbandry, the uneconomic condition of land holdings and need for consoldation of holdings, Begar and Dadwar systems.

10 **Economic and natural resoures :** Human resources, Education system of the State and important educational institutes; forest, water, herbs, agriculture, animals, hydro electricity, minerals, tourism, industries (Small and Village), the position of utiliszation of resources.

Various schemes being implemented in Uttrarakhand for the eradication of poverty and unemployment and for economic development. Economic activities and their contribution in the State GDP. The priorities of development in Uttarakhand and new strategies of planning and its problems. Marketing facilities in Uttarakhand and agriculture mandis. The salient features of the budget of Uttarakhand State.

General Aptitude Test

Maximum Marks-20 **Total Questions-10**

11 The questions will cover, both, verbal and nonverbal types, including questions on analogies, similarities, differences, space visualization, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, arithmetical reasoning, verbal and figure classification and arithmetical number series. The test will also include questions designed to test the candidate's ability to deal with abstract ideas, symbols and their relationships, arithmetical computations and other analytical functions.

Part -2 : General Hindi

प्रश्नों की संख्याः 20 **अधिकतम अंकः: 40**

स्वर एवं व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम–व्याकरण विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति, विराम चिह्न।

Written Examination

Paper-II

Subject:: Games and Sports
(Objective Type)

Time : 2 Hours No. of questions: 100 Maximum Marks : 200

Unit-I. (Foundation and Methods in Games/Sports and Physical Education)

- History and development of indigenous games.
- Knockout tournament, Round Robin tournament (League tournament). Combination tournament, Challenge tournament.
- Methods of drawing Fixture, Bye and its calculation.
- Distribution of teams, seeding.

Unit-II. (Health, Wellness, Sports Medicine and Rehabilitation)

- Meaning, definition, dimensions of health and mental health.
- Balance diet, Obesity and its Management, Nutrition and Dietary manipulation, Fluid intake.
- Millets (Shri Anna- Mota anaaj); Its impact on player's health and performance.
- Posture, Postural deformities and its management.
- Physical activities and sports for Divyang.
- Prevention of sports injuries.
- Fitness Problems in women, Exercise and aging.
- First-Aid, Sprain, Strain, Fracture, Dislocation and their Management.
- Doping and Ergogenic-aids.

Unit-III (Basic Concept of Sports Psychology)

- Psychological aspects of heredity and environment.
- Different stages of growth and development.
- Learning, Laws of Learning, Theories of Learning, Various Theories of Play.
- Personality and its types & Dimension, Personality and performance.
- Motivation, Types of Motivation, Awards and Punishment.
- Management of Stress and Anxiety.

Unit-IV (Test, Measurement and Evaluation in Games and Sports)

- Meaning and definition of physical fitness and motor fitness.
- Components of physical fitness.

- AAHPERD Youth Physical Fitness Test.
- Criteria of selection of test.
- Skill testing.
- Yo-Yo test.
- General physical fitness test.
- BMI (Body mass index).
- Measurement and calculation of body fat.

Unit-V (Scientific Principles of Sports Training)

- Principles and Characteristics of sports training.
- Training load, overload and recovery.
- Periodization.
- Strength and methods of development of strength.
- Speed and methods of development of Speed.
- Endurance and methods of development of Endurance.
- Flexibility and methods of development of Flexibility.

Unit-VI (Anatomy and Exercise Physiology)

- Cell and tissues.
- Skeletal system, Muscular system, Cardio-Respiratory system.
- Blood and its elements.
- Blood Pressure.
- Oxygen debt (EPOC), Second wind, Athlete heart.
- Effects of exercise on muscular system.
- Effects of exercise on respiratory system, concepts of Aerobic and Anaerobic.
- Effects of exercise on blood circulatory system.

Unit-VII (Sports Organisation, Administration and Sports Management)

- Organisation of tournament.
- SAI (Sports Authority of India).
- AIU (Association of Indian Universities).
- IOC (International Olympic Committee).
- IOA (Indian Olympic Association).
- Khelo India University Games.
- Asian Games, Modern Olympic Games, Ancient Olympic Games.
- National Sports Association and Federations.
- Promotion of adventure sports.
- Care and Maintenance of sports goods and equipment.
- Purchase of equipment.

- POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Co-Operating/Controlling, Reporting and Budgeting)
- Preparation of Budget for Sports.

Unit-VIII (Sports Biomechanics)

- Speed, velocity and acceleration.
- Newton's Laws of motion.
- Lever and its types.
- Equilibrium and balance, Force, Centre of Gravity, Line of Gravity, Centripetal and Centrifugal Force.
- Friction, Motion, Linear and Angular motion.

Unit-IX (Statistics and use of Computer in Sports)

- Measures of central tendency (Calculation of Mean, Median and Mode).
- Measures of variability (Calculation of Standard deviation, Quartile deviation and percentile)
- Role of Computer in Sports.
- Technological advancement in games and sports.
- Role of Artificial Intelligence (AI) in Sports.
- Innovation in Games and Sports.

Unit-X (Rules of the Games and Sports, National Sports Awards, Sports Policies and Schemes)

- General rules of various games and sports.
- National Sports Award- (Arjuna Award, Major Dhayanchand Khel Ratna Award, Dronacharya Award, Himalaya Khel Ratna Award).
- NEP: 2020 and Sports.
- TOPS- Target Olympic Podium Scheme.
- Talent Identification.
- Role of sports in social integration.
- Current affairs of games and sports.
- Current Scheme for promotion of sports in Uttarakhand and India.

Unit-XI (Yoga and Well-being)

- Role of yoga for fitness and wellness.
- Yoga for stress management.
- Yoga for anxiety management.
- Yoga for cardio-respiratory development.
- Yoga for posture and balance.
- Present stressful life style and yoga.

परिशिष्ट–2

उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र का प्रारूप

परिशिष्ट–2(1)

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील .... नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड की .....जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .....तहसील .....नगर .....जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :
मुहर :

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम .....
पदनाम .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/
जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट–2(2)

उत्तराखण्ड राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील .....नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड के राज्य की .... पिछड़े जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .... तहसील ..... नगर ..... जिला .....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम .....
पदनाम .....
मुहर .....
जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट–2(3)

उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....
....सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री ..... निवासी ग्राम .....
.....तहसील ..... नगर ..... जिला .....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) .....
.....पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री)(विवाहित या अविवाहित)/पुत्री के पुत्र/पुत्री उपयांकित अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम.....
पदनाम .....
मुहर .....
जिलाधिकारी .....
(सील) .....

परिशिष्ट–2(4)

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64/XXXVI ;3)/2019/19(1)/2019 दिः 07 मार्च, 2019 के अधीन)

अर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या.....वर्ष.....हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मुहल्ला.....

पोस्ट ऑफिस.....जिला.....पिन कोड़.....

उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष..... की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता हैं :–

(I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
(II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
(III) अधिसूचित नगरपाालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड,या
(IV) अधिसूचित नगरपाालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि.....जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्रू पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज का प्रमाणित फोटो

हस्तारक्षर सहित कार्यालय की मुहर
नाम..... पदनाम.....
.....

परिशिष्ट–2(5)

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या – ..... तारीख .....

निःशक्तता प्रमाण–पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री .....आयु ..... लिंग .....पहचान चिन्ह् ....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगें (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुॅच

(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगें और बांहें (बी एल ए)–दोनों टॉगें और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुॅच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुॅच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

(i) बी – अंधता

(ii) पी बी – ऑशिक रुप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी–बधिर

(ii) पी डी – ऑशिक रुप से बधिर

घ. अन्य

(i) एल0सी0

(ii) ए0ए0वी0 / ए0वी0

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है / गैर प्रगामी है / इसमें सुधार होने की सम्भावना है / सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। .....वर्षों ..... महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। '

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत ..... है।

4. श्री / श्रीमती / कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते / करती हैं:–

(i) एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते / सकती हैं। हाँ / नहीं

(ii) पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते / सकती हैं। हाँ / नहीं

(iii) एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते / सकती हैं। हाँ / नहीं

(iv) के सी–घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते / सकती हैं। हाँ / नहीं

(v) बी–झुक कर कार्य कर सकते / सकती हैं। हाँ / नहीं

(vi) एस–बैठ कर कार्य कर सकते / सकती हैं। हाँ / नहीं

(vii) एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते / सकती हैं। हाँ / नहीं

(viii) डब्लू–चलते हुए कार्य कर सकते / सकती हैं। हाँ / नहीं

(ix) एस ई–देख कर कार्य कर सकते / सकती हैं। हाँ / नहीं

(x) एच–सुनने / बोलने के जरिए कार्य कर सकते / सकती हैं। हाँ / नहीं

(xi) आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते / सकती हैं। हाँ / नहीं

(डा0.....)	(डा0.....)	(डा0.....)
सदस्य	सदस्य	सदस्य
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा
अधिकारी / अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

(मुहर सहित)

' जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट–03

जिला क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा–2025 हेतु न्यूनतम् अर्हकारी अंक

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2022 यथा संशोधित में वर्णित प्राविधान के तहत निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य हैः–

क्र0 सं0	श्रेणी / उपश्रेणी	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)।	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन परिणाम हेतु न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)।
1.	अनारक्षित श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	**40%**	**45%**
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	**35%**	**40%**
3.	अनुसूचित जाति एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	**30%**	**35%**

*नोट :: सम्बन्धित श्रेणी / उपश्रेणी के सापेक्ष अभ्यर्थियों को उपरोक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता–सूची (**MERIT**) हेतु विचारित किया जायेगा।*

परिशिष्ट–04

अभ्यर्थी **लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु नियत नगर का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें।** उक्त परीक्षा का आयोजन निम्नलिखित नगरों में किया जाना प्रस्तावित है :–

क्रम सं0	नगर का नाम
01.	हरिद्वार (हरिद्वार)
02.	हल्द्वानी (नैनीताल)

नोटः–

1. लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु अभ्यर्थियों को आंवटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

2. अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु नगरों की संख्या घटाई–बढ़ाई जा सकती है। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किये जा सकते हैं, जिसमें आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

3. केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर परीक्षा का आयोजन केवल हरिद्वार नगर के परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा।

परिशिष्ट–05

शासनादेश संख्याः 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्वांत :–

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात)से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत **परिशिष्ट–5(1)** प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–5(1)** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट–5(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट–5(1) की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट–5(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–5(1)** प्रमाण पत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा (प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।

6. कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं हेतु विकलांगता धारित अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व कम्प्यूटर सिस्टम के निरीक्षण की सुविधा दी जाएगी। आयोग द्वारा अभ्यर्थी को कम्प्यूटर परीक्षा हेतु स्वयं का केवल की–बोर्ड तथा माउस लाने की अनुमति दी जाएगी।

7. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

8. जिन परीक्षाओं में कैलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को talking calculator की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (trailor frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे ;उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे)।

9. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू–तल के निर्धारित परीक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

-Sd-
सचिव

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs …….. (name of the candidate with disability), a person with …….. (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o ……., a resident of …….. (Village/District/State) and to state that he/she has physical limition which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health care institution

(Name & Designation)

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal:

Place:

Date:

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)

परिशिष्ट–05 (2)

Letter of Undertaking for using own Scribe

I ……., a candidate with …….(name of the disability) appearing for the …….(name of the examination) bearing Roll No. ……. at …….(name of the centre) in the District ……. (name of the State). My qualification is …….

I do hereby state that ……. (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is ……. In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date:

परिशिष्ट–06

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) से आच्छादित किन्तु अधिनियम की धारा 2(r) से अवमुक्त अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है, को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में श्रुतलेखक एव/या क्षतिपूर्ति समय की सुविधा लिखने में असमर्थ केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा **परिशिष्ट–6(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर राजकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा कि अभ्यर्थी लिखने में असमर्थ है तथा अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु श्रुतलेखक की आवश्यकता है।

2. श्रुतलेखक की अनुमन्यता के सबंध में प्रेषित किया जाने वाला **परिशिष्ट–6(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण–पत्र निम्नवत गठित बहु–सदस्यीय समिति द्वारा निर्गत किया जाना अनिवार्य है–

i. Chief Medical officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer..... अध्यक्ष
ii. Orthopaedic/PMR specialist
iii. Neurologist (उपलब्धता के आधार पर)
iv. Clinical Psychologist/Rehabilitation Psychologist/ Psychiatrist/ Special Educator
v. Occupational therapist. (उपलब्धता के आधार पर)
vi. समिति के अध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी की स्थिति के आधार पर नामित अन्य कोई सदस्य।

3. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी अथवा श्रुतलेखक आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–6(1)** प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पर्वू मिलवाया जाएगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता सबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से एक स्तर कम होगी किन्तु किसी भी दशा में हाई स्कूल से न्यून नहीं होगी।

स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था किये जाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक श्रुतलेखक की 02 आवक्ष फोटो एवं 01 पहचान–पत्र के साथ **परिशिष्ट–6(2)** प्रमाण–पत्र एवं **परिशिष्ट–6(1)** प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5. अभ्यर्थी को अपरिहार्य परिस्थितियों में श्रुतलेखक को परिवर्तित किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में पृथक–पृथक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा

सकता है, किंन्तु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा मे ं अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

6. अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत **परिशिष्ट–6(1)** प्रमाण–पत्र के बिन्दु संख्या–2 में अनुमोदित ऐसे सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति होगी, जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं होती हो।

7. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

8. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा केन्द्र के भू–तल पर निर्धारित परीक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिशिचित की जाएगी।

9. उक्त दिशा–निर्देश शासनादेश सख्या : 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में आयोग द्वारा अनुमोदित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबधी मार्गदर्शिका सिद्धांत दिनांक 09 जून, 2020 से पृथक होंगे।

-Sd-
सचिव

परिशिष्ट–06 (1)

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs.……………………………………..(name of the candidate), s/o /D/o ………………………………a resident of ………………………………………………………… ………… ………………………….. (Vill/PO/PS/District/State), aged……… yrs. a person …………(nature of disability/condition), and to state that he/she with has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is/are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid unto ______ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic/ PMR specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/psychiatrist/ Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (If any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/Chief District Medical Officer…………… Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Centre with seal

Place:

Date:

परिशिष्ट–06 (2)

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

I_____, a candidate with_____(nature of disability/condition) appearing for the _____(name of the examination) bearing Roll No. _____at_____(name of the center) in the District _____,_____(name of the State). My educational qualification is _____.

2. I do hereby state that_____ (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is_____. In case subsequently it is found that his qualifications is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

(Counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date:

परिशिष्ट–07

जिला क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा–2025

Check List

पदनाम – जिला क्रीड़ा अधिकारी अनुक्रमांक–

क्र0सं0	विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं (हां/नहीं)
01	ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति।	
02	विस्तृत आवेदन पत्र **(प्रपत्र संख्या–02)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
03	प्रमाणीकरण प्रपत्र **(प्रपत्र संख्या–03)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
04	देशना पत्रक **(प्रपत्र संख्या–04)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
05	हाईस्कूल प्रमाण–पत्र की प्रति	
06	हाईस्कूल अंकतालिका की प्रति	
07	इण्टरमीडिएट/डिप्लोमा प्रमाण–पत्र	
08	इण्टरमीडिएट/डिप्लोमा अंकतालिका	
09	स्नातक अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की अंकतालिका	
10	स्नातक उपाधि	
11	**(i)** एन0आई0एस0 संस्थान से "डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग" नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला, भारतीय खेल प्राधिकरण, नेताजी सुभाष साउथर्न सेन्टर, बैंगलोर, भारतीय खेल प्राधिकरण, नेताजी सुभाष ईस्टर्न सेन्टर, कलकत्ता, भारतीय खेल प्राधिकरण, त्रिवेन्द्रपुरम **या** **(ii)** लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, (डीम्ड यूनिवर्सिटी), ग्वालियर से "पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग" (PGDSC) डिप्लोमा।" या **(iii)** स्वर्णिम गुजरात खेल विश्वविद्यालय गांधीनगर से "पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग" (PGDSC) डिप्लोमा।"	
12	एक खिलाड़ी के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में टीम का प्रतिनिधित्व किये जाने संबंधी प्रमाण–पत्र/अभिलेख।	
13	अधिमानी अर्हताएं (यदि लागू हों)	
	(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, **या**	
	(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र हो, **या**	
	(तीन) अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में एक खिलाड़ी के रूप में प्रतिभाग किया हो।	
14	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0)**	
15	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र।(उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे/उत्तराखण्ड दिव्यांग)	

16	स्थायी निवास प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)।	
17	पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि वे पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं।	
18	अभ्यर्थी यदि किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति।	
19	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।	
20	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ।	
21	अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु पहचान पत्र यथा–आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस आदि मूल रूप से तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति।	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक–तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक–तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण–पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण–पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

** एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 व अन्य आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण–पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की **अंतिम तिथि तक वैध** होना चाहिए। शासनादेश संख्या–310 दिनांक 26.02.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण–पत्र की वैधता, उक्त प्रमाणपत्र निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। **अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओ हेतु जारी हों।**

नोट– आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थी उक्तानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र, विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या–02), प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या–03), देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या–04) एवं समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमाणित सेट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। विभिन्न प्रपत्रों की छायाप्रति ससमय आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाएगी।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी का नाम.....